न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी:— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 42/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. रामस्वरूप सुमन पुत्र श्री श्यामलाल सुमन जाति माली निवासी ग्राम मऊ ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.) **(गैरनिगराकारान)**

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :— 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक **(गैर निग. क्रम 1)**

निर्णय दिनांक 01.06.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 31.05.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 897 साइज 125X65 कुल क्षेत्रफल 8125 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003—04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता द्वारा जांच की गई जिसमें भी उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी होना नहीं पाया जाता है। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 31.05.2003 को जारी पट्टा संख्या 897 निरस्त करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, गैर निगराकारगण को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र क्रमांक 202 दिनांक

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार क्रम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म गै.मु.खलिहान भूमि है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। गैर निगराकार क्रम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार क्रम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार क्रम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर गै. मु. खलिहान भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 897 दिनांक 31.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस जगह का जारी किया गया है यह पट्टे में दर्ज नहीं है। गैर निगराकार क्रम 1 का मकान पट्टा जारी किये जाने के पूर्व से बना हुआ है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार क्रम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5735/2021 बउनवान Lrs of Sukhdeo singh & others vs Adm (A) Sri Ganganagar & others में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 की छायाप्रति पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना प्रस्तुत विधि दृष्टांत से स्पष्ट है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गै.मु.खलिहान की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निग[illegible]ार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री [illegible] पट्टा क्रमांक 897 दिनांक 31.05.2003 निरस्त किया जाता है [illegible] उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:57:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां